<u>न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,</u> जिला-बालाघाट (म.प्र.)

<u>आप. प्रक. क.—542 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक—26.06.2015</u> <u>फाईलिंग नं.—234503006182015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

/ / <u>विरुद्ध</u> / /

नान्हूलाल पिता बुद्धुलाल हिरवाने, उम्र 56 साल, जाति कलार, निवासी ग्राम हर्राभाट थाना बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

<u>आरोर्प</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-04/01/2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—23.05.2015 को रात्रि 08.00 बजे, स्थान ग्राम हर्राभाट थाना बैहर अन्तर्गत लोकस्थान पर फरियादी इन्दल हिरवाने को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं कुल्हाड़ी को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत इन्दल हिरवाने को कुल्हाड़ी से दाहिने पैर के घुटने के उपर मारकर स्वेच्छ्या उपहित कारित की तथा फरियादी इन्दल हिरवाने को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी इन्दल हिरवाने ने दिनांक—24.05.2015 को आरक्षी केन्द्र बैहर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम हर्रामाट रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। दिनांक—23.05.2015 को शाम के 08.00 बजे वह अपनी पत्नी व बच्चे के साथ खाना खाकर ऑगन में खटिया पर लेटा था एवं उसकी पत्नी सेवकलीबाई बैठी थी। उसकी पत्नी सेवकलीबाई पेशाब करने बाड़ी में गई तो उसका बड़ा भाई नान्हूलाल हिरवाने गन्दी—गन्दी गाली गलौच कर उसकी पत्नी को कहने लगा कि मादर चोद यहीं पेशाब

कर रही है, मादर चोद साला अपनी पत्नी का भाड़ खाता है, कहकर उसे मॉ—बहन को चोदू की गन्दी—गन्दी गाली देकर, कुल्हाड़ी लेकर आया जब उसने गन्दी—गन्दी गाली गलौच करने से मना किया तो हाथ में खे कुल्हाड़ी के फल से उसके दाहिने पैर के घुटने के उपर मारा तो कट कर खून निकलने लगा जब बीच बचाव करने उसका भतीजा दिगम्बर आया तो नान्हूलाल कहने लगा कि आज तो साले बच गया है साले जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—64 / 15, धारा—294, 323, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। विवेचना के दौरान आरोपी विरूद्ध भा.द.वि. की धारा—324 का ईजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 324, 506 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324 506(भाग—2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी / आहत इन्दल हिरवाने ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506(भाग—2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 का विचारण पूर्ण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—23.05.2015 को रात्रि के 08.00 बजे, स्थान ग्राम हर्राभाट थाना बैहर के अन्तर्गत आहत इन्दल हिरवाने को कुल्हाड़ी से दाहिने पैर के घुटने के उपर मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

विचारणीय बिन्दू पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी / आहत इन्दल हिरवाने (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि आरोपी उसका भाई है। घटना उसके कथन से लगभग चार—पांच माह पूर्व रात्रि के लगभग 08.00 बजे की है। घटना दिनांक को उसका आरोपी से मौखिक वाद—विवाद हो गया था। विवाद में आरोपी उसे मॉ—बहन की गन्दी—गन्दी

गालियां दे रहा था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसके साथ कुल्हाड़ी के फल से मारपीट की थी एवं आरोपी के मारने से उसे दाहिने पैर के घुटने के उपर कट गया था तथा आरोपी द्वारा पंहुचाई गई चोट का शासकीय अस्पताल बैहर में पुलिस ने मुलाहिजा करवाया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था एवं उसने पुलिस को प्रदर्श पी-2 की रिपोर्ट में आरोपी के द्वारा कुल्हाड़ी के फल से दाहिने पैर के घुटने के उपर मारने वाली बात बताई थी तथा उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह राजीनामा होने के कारण न्यायालय में सहीं बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके एवं आरोपी के बीच मौखिक वाद-विवाद हो गया था एवं आरोपी ने उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट नहीं की थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

- 6— प्रकरण में अभियोजन ने फरियादी/आहत इन्दल हिरवाने (अ.सा.1) की साक्ष्य करायी है इसके अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी/आहत इन्दल हिरवाने ने स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। आहत इन्दल हिरवाने के द्वारा अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि घटना के समय आरोपी ने तथाकथित रूप से कुल्हाड़ी को खतरनाक साधन या धारदार वस्तु के रूप में उपयोग कर कथित मारपीट की थी, जिस कारण उसे उपहित कारित हुई। साक्ष्य के अभाव में आरोपी के विरूद्ध कथित कुल्हाड़ी या अन्य खतरनाक साधन का उपयोग कर आहत इन्दल हिरवाने को स्वेच्छया उपहित कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।
- 7— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत इन्दल हिरवाने को कुल्हाड़ी से दाहिने

पैर के घुटने के उपर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी नान्हूलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। 8-
- प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाडी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् 9-नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) ATTENDED TO THE PARTY OF THE PA न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट